

राजस्थान आवासन् मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/1059

दिनांक:- 8/1/16

आदेश

आगासीय अभियन्ता खण्ड प्रथम बीकानेर के अधीन अवशेष आवासों का नियमानुसर निस्तारण अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय के प्रस्तावानुसार विशेष अभियान 2015-16 के तहत निर्देशानुसार खुली ब्रिकी योजना/किराया क्रय/नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5/264, 8/508, 11/200, 14/246	04
		अल्प आय वर्ग	13/341, 13/302	02
		मध्यम आय वर्ग—अ [↑]	13/105	01
		कुल	07	

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय/उप आवासन आयुक्त, वृत—बीकानेर निम्न शर्तों के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. आवासों का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है।
6. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा नकद/किराया क्रय पद्धति से आवेदन किये जाने की स्थिति में यदि दोनों पद्धति से आवेदन प्राप्त होते हैं तो नकद भुगतान पद्धति के आवेदक को वरियता दी जायें।
7. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.33/मुसप्र/खुली ब्रिकी/10-11/2107 दिनांक 12.11.10 की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 146-147/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


 मुख्य सम्पदा प्रबंधक

विशेष अभियान 2015-16

(20)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा०आ०म०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -बीकानेर, रा०आ०म० बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा०आ०म० बीकानेर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर ड्लवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक (मु०)